

आदेश की सं० और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी और तारीख

13.03.2020

न्यायालय समाहर्ता, पूर्णिया

उत्पाद वाद संख्या-54/2020

राज्य

बनाम

1. मेसर्स खूबसूरत वाटिका प्रभारी उत्तम कुमार, सा०-रूपसपुर के निकट, इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, पीन नं०-801503, थाना+जिला-पटना। (जप्त कार स्कोडा ओक्टीभा सं०-BR01CE-0009 के स्वामी)

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया के पत्रांक 1274/म०नि० दिनांक-31.12.2019 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न कागजातों में वर्णित है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 03.09.19 को समेकित जांच चौकी दालकोला के पास की गई। जांच के क्रम में उक्त वाहन के डिक्की से 04 बोतल (प्रति बोतल 750मि०ली०) विदेशी शराब पाया गया। तत्पश्चात् जप्ती सूची तैयार कर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णिया के न्यायालय में वाद सं०-256/19 दर्ज कराई गई। अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया द्वारा बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत जप्त वाहन को राजसात करने की अनुशंसा की गई है।

इस वाद में विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा का अवलोकन किया। उनका कथन है कि यह वाद विधि के दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है। शराब जप्ती के समय वाहन मालिक वाहन पर मौजूद नहीं थे। जप्त वाहन पर उनके चालक राहुल कुमार मौजूद थे। वाहन की जप्ती दिनांक 03.09.19 को हुई है एवं संबंधित अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.19 को न्यायालय में वाद दर्ज कराया गया है। इस संबंध में विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू०जे०सी०सं०-19705/19 दायर किया गया है। जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.12.19 के आलोक में निदेश दिया गया है कि दो सप्ताह के अन्दर कार्यवाही प्रारंभ की जाए अथवा वाहन मुक्त कर दिया जाए। अतएव राजसात की कार्यवाही समाप्त करते हुए वाहन मुक्त करने की कृपा की जाए।

उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त वाहन की डिक्की से 04 बोतल (प्रति बोतल 750मि०ली०) विदेशी शराब बरामद हुआ है। इस प्रकार जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन में किया गया है। इस वाद में विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा तथ्यात्मक

नहीं है। सी0डब्लू0जे0सी0सं0-19705/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.12.19 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा चुकी है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 में अधिहरण की जा सकने वाली चीजों का वर्णन है, जिसकी उपधारा 'घ' में वर्णित है कि "उसे ढोने के काम में लाये जाने वाले पशु, वाहन, जलयान या परिवहन के अन्य साधन।" स्पष्ट है कि जप्त वाहन के द्वारा शराब का परिवहन किया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-99 "विधिमान्यकरण के अनुरूप बिहार उत्पाद अधिनियम से संबंधित पूर्व में किये गये सभी तरह के अपराध और उसके अनुसंधान से संबंधित सारे प्रावधानों पर वर्तमान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के प्रावधान ही लागू होंगे और इसी अनुरूप अपराध और अनुसंधान के कार्य निष्पादित किये जायेंगे।" ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शक्ति के आलोक में जप्त वाहन को राजसात किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी से प्राप्त कारणपृच्छा, अधीक्षक, मद्य निषेध, पूर्णिया से प्राप्त प्रस्ताव, उत्पाद विभाग की ओर से प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त वाहन से अवैध शराब जप्त हुआ है तथा जप्त वाहन का उपयोग शराब के परिवहन हेतु किया गया है। ऐसी स्थिति में विपक्षी का कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है जिसे अस्वीकृत किया जाता है। संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत उक्त वाहन को राजसात किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः मैं राहुल कुमार, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्ता, पूर्णिया इस वाद अंतर्गत जप्त कार स्कोडा ओक्टोभा सं0-BR01CE-0009 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की कंडिका 58(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजसात का आदेश देता हूँ। अधीक्षक उत्पाद, पूर्णिया को निदेश दिया जाता है कि उत्पाद अधिनियम एवं तत्संबंधी संगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद अधीक्षक, पूर्णिया को भेजें तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भी प्रेषित करें।

विपक्षी यदि पारित आदेश से असंतुष्ट हैं तो अपीलीय प्राधिकार उत्पाद आयुक्त, बिहार के न्यायालय में 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर अपील दायर कर सकते हैं।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,
पूर्णिया।

53/03/2020
समाहर्ता,
पूर्णिया।